कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन एवं वन्यजीव प्रभाग, फतेहपुर

पत्रांक - 2437 /27-4 फतेहपुर, दिनांक 02/ 02 /2021

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रयागराज वृत्त,
प्रयागराज।

विषय :- विन्ध्य टेली लिन्क्स लि० द्वारा जनपद फतेहपुर में कोड़ा जहानाबाद–अमौली–जोनिहा चौराहा – शहबाजपुर, जोनिहा चौराहा–बंधवा तिराहा–बंधवा–ललौली, बंधवा तिराहा–बहुआ तक कुल लम्बाई 72.50 किमी0 एवं 0.7511 है0 वन भूमि में बिना वृक्ष पातन के आप्टिकल फाइबर केबिल बिछाये जाने की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 का पत्र संख्या 2297/81–2–2020–800(49)/2020 दिनांक 23.12.2020 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र लखनऊ का पत्रांक 1537/11–सी दिनांक 29.12.2020।

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित प्रस्ताव में विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 का पत्र संख्या 2297/81–2–2020–800(49)/2020 दिनांक 23.12.2020 से 17 शर्तो के साथ सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गयी थी। जिसके क्रम में प्रयोक्ता अभिरकण द्वारा अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराई।

अतः सैद्धान्तिक स्वीकृति में निहित शर्तों की अनुपालन आख्या संलग्नक सहित (4 प्रतियों में) निम्नानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

Sr.No.	Conditions	Status of Compliance
1	सम्बंधित वन क्षेत्र में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण का वचन बद्धता प्रमाणपत्र सलंग्न है। – पेज संख्या – 1
2	ओ० एफ० सी० केबिल /टेलीफोन लाइन /मार्गो /सइको/वर्तमान अधिकारधारिता में प्रयुक्त रास्तो के किनारे –किनारे ही बिछाई जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण का वचन बद्धता प्रमाणपत्र सलंग्न है। – पेज संख्या – 2
3	ओ० एफ० सी० केबिल /टेलीफोन लाइन बिछाने हेतु खोदे जाने वाले ट्रेंच की गहराई 2.00 मीटर तथा चौडाई 1.0 मीटर से अधिक नहीं होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण का वचन बद्धता प्रमाणपत्र सलंग्न है। – पेज संख्या – 3
4	प्रस्तावक एजेंसी द्वारा खोदी गयी ट्रेंच को इस तरह से भर कर काम्पैक्ट करना होगा कि भू रक्षण की संभावना न हो।	प्रयोक्ता अभिकरण का वचन बद्धता प्रमाणपत्र सलंग्न है। – पेज संख्या – 4
5	प्रस्तावक एजेंसी द्वारा स्थानीय नियमो के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण का वचन बद्धता प्रमाणपत्र सलंग्न है। – पेज संख्या – 5
6	वन-भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरुप पुन: लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण का वचन बद्धता प्रमाणपत्र सलंग्न है। – पेज संख्या – 6
7	प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुरक्षण का कार्य संपादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण का वचन बद्धता प्रमाणपत्र सलंग्न है। – पेज संख्या – 7
8	भूमि का सरफेस राइटस (Surface Rights) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्तिथि में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत बना रहेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण का वचन बद्धता प्रमाणपत्र सलंग्न है। – पेज संख्या – 8

कार्यालय पता – प्रभागीय निदेशक कार्यालय, वी0आई0पी0 रोड, सिविल लाइन्स, फतेहपुर – 212601
दूरभाष /फैक्स – 05180 – 224493, ई – मेल – dfofatehpur@gmail.com

Scanned with CamScanner

9	कार्यदायी संस्था द्वारा प्रदेश में किसी एक स्थान पर 20 किमी० तीन लाइनों में वृक्षारोपण कराया जायेगा।	कार्यदायी संस्था द्वारा जनपद सिद्धार्थ नगर में लुम्बनी दुद्धी मार्ग के दोनों तरफ 10 -10 किमी० कुल 20 किमी० क्षेत्र में तीन लाइनों में वृक्षारोपण हेतु वांछित धनराशि रु० 80,37,000.00 दिनांक 24-08-2020 को जमा कर दिया है ,जिसके सन्दर्भ में प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, सिद्धार्थ नगर का धनराशि जमा किए जाने का प्रमाण पत्र सलग्न है । – पेज संख्या – 9,10
10	प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू-स्वामी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण का वचन बद्धता प्रमाणपत्र सलंग्न है। – पेज संख्या – 11
11	प्रयोक्ता एजेंसी के पास वैध व अधिकृत लाइसेंस हो तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त हो ।	प्रयोक्ता अभिकरण का वचन बद्धता प्रमाणपत्र सलंग्न है। – पेज संख्या – 12
12	भारत सरकार के पत्र संख्या – 5-3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19-8-2010 तथा पत्र संख्या – J-11013/41/2006-IA-II(I), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने , यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति /अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ़ नेशनल बोर्ड ऑफ़ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग अलग प्राप्त कर लिया जायेगा।	<u>**लागू नहीं**</u> - प्रयोक्ता अभिकरण का वचन बद्धता प्रमाणपत्र सलंग्न है। – पेज संख्या – 13
13	यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी /नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा० उच्चतम न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली जायेगी।	**लागू नहीं** प्रयोक्ता अभिकरण का वचन बद्धता प्रमाणपत्र सलंग्न है। पेज संख्या – 14
14	समस्त वैधानिक / प्रशासनिक अन्नापत्ति प्राप्त करने के उपरांत ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ।	प्रयोक्ता अभिकरण का वचन बद्धता प्रमाणपत्र सलंग्न है। – पेज संख्या – 15
15	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय , नई दिल्ली के पत्रांक 11-9/98-एफसी , दिनांक 08.07.2011 में दिए गये दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुए भू-संदर्भित डिजिटल डाटा /मानचित्र प्रस्तुत करे, जिसमे वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया हो।	प्रयोक्ता अभिकरण का वचन बद्धता प्रमाणपत्र सलंग्न है। – पेज संख्या – 16
16	वन अधिकार अधिनियम-2006 के अंतर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति / प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते है ।	वन अधिकार अधिनियम-2006 के अंतर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्ताव के साथ पूर्व मे ही सलग्न कर दिया गया था जिसकी छायाप्रति सलग्न है । पेज संख्या – 17-18

Scanned with CamScanner

17	उपरोक्त के अतिरिक्त समय समय पर केंद्र सरकार / राज्य सरकार / मा० न्यायालयो द्वारा दिए गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण का वचन बद्धता प्रमाणपत्र सलंग्न है। – पेज संख्या – 19

उपरोक्त के अतिरिक्त प्रयोक्ता अभिकरण व प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन एवं वन्यजीव प्रभाग, फतेहपुर का स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त वन संरक्षण अधिनियम –1980 के उल्लंघन न होने का प्रमाण पत्र संलग्न है। (पेज संख्या 20)

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग
फतेहपुर

पत्रांक 2437 / समदिनांक –

प्रतिलिपि प्रोजेक्ट हेड, विन्ध्या टेलीक्सि लिमिटेड, ई0पी0सी0 डिवीजन प्लाट नं0 ई 237 टावर ग्रीन, तृतीय तल फेज–8बी औद्योगिक क्षेत्र मोहाली पंजाब को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग
फतेहपुर

Scanned with CamScanner

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग , फतेहपुर

विषय – विन्ध्या टेली लिंक्स लि० द्वारा जनपद फतेहपुर में कोड़ा जहानाबाद - अमौली - जोनिहा चौराहा -शहबाजपुर, जोन्हिया चौराहा- बंधवा तिराहा -ललौली , बंधवा तिराहा - बहुआ तक की कुल लम्बाई किमी० 72.5, कुल 0.7511 हे0 वन भूमि में बिना वृक्ष पातन के ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने जाने की अनुमति के सम्बन्ध में (प्रस्ताव - FP/UP/Others/33502/2018)

सन्दर्भ – उत्तर पदेश शासन की सैधान्तिक स्वीकृति संख्या –.2297/81-2-2020-800(49)/2020 दिनांक-23.12.2020

Sr.No.	Conditions	Status of Compliance
1	सम्बंधित वन क्षेत्र में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा ।	वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलंग्न - पेज संख्या - 1
2	ओ० एफ० सी० केबिल /टेलीफोन लाइन /मार्गो /सड़को/वर्तमान अधिकारधारिता में प्रयुक्त रास्तो के किनारे -किनारे ही बिछाई जायेगी ।	वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलंग्न - पेज संख्या - 2
3	ओ० एफ० सी० केबिल /टेलीफोन लाइन बिछानें हेतु खोदे जाने वाले ट्रेंच की गहराई 2.00 मीटर तथा चौडाई 1.0 मीटर से अधिक नहीं होगी ।	वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलंग्न - पेज संख्या - 3
4	प्रस्तावक एजेंसी द्वारा खोदी गयी ट्रेंच को इस तरह से भर कर काम्पैक्ट करना होगा कि भू रक्षण की संभावना न हो ।	वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलंग्न - पेज संख्या - 4
5	प्रस्तावक एजेंसी द्वारा स्थानीय नियमो के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी ।	वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलंग्न - पेज संख्या - 5
6	वन-भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरुप पुन: लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी ।	वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलंग्न - पेज संख्या - 6
7	प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुरक्षण का कार्य संपादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी ।	वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलंग्न - पेज संख्या - 7
8	भूमि का सरफेस राइटस (Surface Rights) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्तिथि में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत बना रहेगा	वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलंग्न - पेज संख्या - 8
9	कार्यदायी संस्था द्वारा प्रदेश में किसी एक स्थान	कार्यदायी संस्था द्वारा जनपद सिद्दार्थ नगर में

Scanned with CamScanner

	पर 20 किमी० तीन लाइनों में वृक्षारोपण कराया जायेगा।	लुम्बनी दुद्धी मार्ग के दोनों तरफ 10 -10 किमी० कुल 20 किमी० क्षेत्र में तीन लाइनों में वृक्षारोपण हेतु धनराशि जमा कर दिया है ,जिसके सन्दर्भ में सम्बंधित प्राप्त पत्र सलंग्न है। प्रमाण पत्र सलंग्न - पेज संख्या - 9,10
10	प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू-स्वामी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।	वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलंग्न - पेज संख्या - 11
11	प्रयोक्ता एजेंसी के पास वैध व अधिकृत लाइसेंस हो तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त हो।	वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलंग्न - पेज संख्या - 12
12	भारत सरकार के पत्र संख्या - 5-3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19-8-2010 तथा पत्र संख्या - J-11013/41/2006-IA-II(I), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने , यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति /अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ़ नेशनल बोर्ड ऑफ़ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग अलग प्राप्त कर लिया जायेगा	**लागू नहीं** -वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलंग्न - पेज संख्या - 13
13	यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी /नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा० उच्चतम न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली जायेगी।	**लागू नहीं** - वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलंग्न - पेज संख्या - 14
14	समस्त वैधानिक / प्रशासनिक अन्नापत्ति प्राप्त करने के उपरांत ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा	वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलंग्न - पेज संख्या - 15
15	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय , नई दिल्ली के पत्रांक 11-9/98- एफसी , दिनांक 08.07.2011 में दिए गये दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुए भू-संदर्भित डिजिटल डाटा /मानचित्र प्रस्तुत करे, जिसमे वन सीमओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया हो।	वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलंग्न - पेज संख्या - 16
16	वन अधिकार अधिनियम-2006 के अंतर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा	वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलंग्न - पेज संख्या - 17-18

Scanned with CamScanner

	लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति / प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते है ।	
17	उपरोक्त के अतिरिक्त समय समय पर केंद्र सरकार / राज्य सरकार / मा० न्यायालयो द्वारा दिए गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा ।	वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलंग्न - पेज संख्या - 19

(Authorized Signatory)

Area Manager
Vindhya Telelinks Limited

AREA MANAGER
VINDHYA TELELINKS LTD.
KANPUR CLUSTER, KANPUR

C.S.

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर

Scanned with CamScanner

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता कि विन्ध्या टेली लिंक्स लि० द्वारा जनपद फतेहपुर में कोड़ा जहानाबाद - अमौली - जोनिहा चौराहा -शहबाजपुर, जोन्हिया चौराहा- बंधवा तिराहा -ललौली , बंधवा तिराहा - बहुआ तक की कुल लम्बाई किमी० 72.5, कुल 0.7511 हे0 वन क्षेत्र में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा ।

C.S.

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर

(Authorized Signatory)

Area Manager
Vindhya Telelinks Limited

AREA MANAGER
VINDHYA TELELINKS LTD.
KANPUR CLUSTER, KANPUR

Scanned with CamScanner

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता कि विन्ध्या टेली लिंक्स लि० द्वारा जनपद फतेहपुर में कोड़ा जहानाबाद - अमौली - जोनिहा चौराहा -शहबाजपुर, जोन्हिया चौराहा- बंधवा तिराहा -ललौली , बंधवा तिराहा - बहुआ तक की कुल लम्बाई किमी० 72.5, कुल 0.7511 हे0 वन क्षेत्र में ओ० एफ० सी० केबिल /टेलीफोन लाइन /मार्गो /सड़को/वर्तमान अधिकारिता में प्रयुक्त रास्तो के किनारे -किनारे ही बिछाये जायेंगें ।

C.S.
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर

(Authorized Signatory)

Area Manager
Vindhya Telelinks Limited

AREA MANAGER
VINDHYA TELELINKS LTD.
KANPUR CLUSTER, KANPUR

Scanned with CamScanner

<u>वचनबद्धता प्रमाण पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता कि विन्ध्या टेली लिंक्स लि० द्वारा जनपद फतेहपुर में कोड़ा जहानाबाद - अमौली - जोनिहा चौराहा -शहबाजपुर, जोन्हिया चौराहा- बंधवा तिराहा -ललौली , बंधवा तिराहा - बहुआ तक की कुल लम्बाई किमी० 72.5, कुल 0.7511 हे0 वन क्षेत्र में ओ० एफ० सी० केबिल /टेलीफोन लाइन बिछाने हेतु खोदे जाने वाले ट्रेंच की गहराई 2.00 मीटर तथा चौडाई 1.0 मीटर से अधिक नहीं होगी ।

C.S.
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर

(Authorized Signatory)
Area Manager
Vindhya Telelinks Limited

VINDHYA TELELINKS LTD.
KANPUR CLUSTER, KANPUR

Scanned with CamScanner

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता कि विन्ध्या टेली लिंक्स लि० द्वारा जनपद फतेहपुर में कोड़ा जहानाबाद - अमौली - जोनिहा चौराहा -शहबाजपुर, जोन्हिया चौराहा- बंधवा तिराहा -ललौली , बंधवा तिराहा - बहुआ तक की कुल लम्बाई किमी० 72.5, कुल 0.7511 हे0 प्रस्तावक एंजेन्सी द्वारा खोदी गयी ट्रेंच को इस तरह से भर कर कम्पैक्ट करना होगा कि भू-क्षरण की सम्भावना न हो ।

C.S.
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर

(Authorized Signatory)

Area Manager
Vindhya Telelinks Limited

PARVEZ FAROOQ ANSARI
AREA MANAGER
VINDHYA TELELINKS LTD.
KANPUR CLUSTER, KANPUR

Scanned with CamScanner

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता कि विन्ध्या टेली लिंक्स लि० द्वारा जनपद फतेहपुर में कोड़ा जहानाबाद - अमौली - जोनिहा चौराहा -शहबाजपुर, जोन्हिया चौराहा- बंधवा तिराहा -ललौली , बंधवा तिराहा - बहुआ तक की कुल लम्बाई किमी० 72.5, कुल 0.7511 हे0 प्रस्तावक एंजेन्सी द्वारा स्थानीय नियमो के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी ।

(Authorized Signatory)

Area Manager
Vindhya Telelinks Limited

AREA MANAGER
VINDHYA TELELINKS LTD.
KANPUR CLUSTER, KANPUR

C.S.

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी ... एवं वन्यजीव प्रभाग
...पुर

Scanned with CamScanner

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता कि विन्ध्या टेली लिंक्स लि० द्वारा जनपद फतेहपुर में कोड़ा जहानाबाद - अमौली - जोनिहा चौराहा -शहबाजपुर, जोन्हिया चौराहा- बंधवा तिराहा -ललौली , बंधवा तिराहा - बहुआ तक की कुल लम्बाई किमी० 72.5, कुल 0.7511 हे0 वनभूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरुप पुन: लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी ।

(Authorized Signatory)

Area Manager
Vindhya Telelinks Limited

AREA MANAGER
VINDHYA TELELINKS LTD
KANPUR CLUSTER, KANPUR

C.S.

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर

Scanned with CamScanner

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता कि विन्ध्या टेली लिंक्स लि० द्वारा जनपद फतेहपुर में कोड़ा जहानाबाद - अमौली - जोनिहा चौराहा -शहबाजपुर, जोन्हिया चौराहा- बंधवा तिराहा -ललौली , बंधवा तिराहा - बहुआ तक की कुल लम्बाई किमी० 72.5, कुल 0.7511 हे0 प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी ।

(Authorized Signatory)

Area Manager
Vindhya Telelinks Limited

AREA MANAGER
VINDHYA TELELINKS LTD.
KANPUR CLUSTER, KANPUR

C.S.
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर

Scanned with CamScanner

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता कि विन्ध्या टेली लिंक्स लि० द्वारा जनपद फतेहपुर में कोड़ा जहानाबाद - अमौली - जोनिहा चौराहा -शहबाजपुर, जोन्हिया चौराहा- बंधवा तिराहा -ललौली , बंधवा तिराहा - बहुआ तक की कुल लम्बाई किमी० 72.5, कुल 0.7511 हे0 भूमि का सरफेस राइटस (Surface Rights) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्तिथि में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात भूमि का स्वामित्व पूर्व की भाति यथावत बना रहेगा ।

(Authorized Signatory)

Area Manager
Vindhya Telelinks Limited

C.S.

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर

Scanned with CamScanner

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता कि विन्ध्या टेली लिंक्स लि० द्वारा जनपद फतेहपुर में कोड़ा जहानाबाद - अमौली - जोनिहा चौराहा -शहबाजपुर, जोन्हिया चौराहा- बंधवा तिराहा -ललौली , बंधवा तिराहा - बहुआ तक की कुल लम्बाई किमी० 72.5, कुल 0.7511 हे0 वन क्षेत्र में कार्य करने के लिए कार्यदायी संस्था द्वारा जनपद सिद्दार्थ नगर में लुम्बनी दुद्धी मार्ग के दोनों तरफ 10 -10 किमी० कुल 20 किमी० क्षेत्र में तीन लाइनों में वृक्षारोपण हेतु धनराशि जमा कर दिया है ,जिसके सन्दर्भ में सम्बंधित प्राप्त पत्र सलंग्न है ।

सलंग्नक - Page-10

C.S

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर

(Authorized Signatory)

Area Manager
Vindhya Telelinks Limited

Scanned with CamScanner

कार्यालय, प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, सिद्धार्थनगर।

पत्रांक– 628 /10–1 दिनांक : सिद्धार्थनगर अगस्त 28 /2020.

सेवा में

एरिया मैनेजर
विन्ध्या टेली लिंक्स लि0
ई0पी0सी0 डिविजन
प्लाट नं0-ई-237, टावर बीना
फर्स्ट फ्लोर, फेज-VIII B
Industrial Area Mohali-1600055
पंजाब।

विषय– सिद्धार्थनगर जनपद मे लुम्बिनी दुद्धी मार्ग के दोनो तरफ 10–10 किमी0 कुल 20 किमी0 क्षेत्र मे तीन लाइनो मे वृक्षारोपण किये जाने हेतु धनराशि जमा किये जाने के सम्बन्ध मे।

सन्दर्भ– वन संरक्षक बस्ती वृत्त, बस्ती का पत्रांक–392/6–3–3 दिनांक 20.08.2020 एवं आपका पत्रांक–25/वी0टी0एल0 ओ0एफ0सी0/आर0ओ0डब्लू0, दिनांक 25.08.2020.

महोदय,

अवगत कराना है कि वन संरक्षक, बस्ती वृत्त, बस्ती के उपरोक्त पत्र के अनुपालन में विन्ध्या टेलीलिंक्स लिमिटेड कम्पनी द्वारा उ0प्र0 सरकार के शासनादेश सं0–3544/14–2–2008 व मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक–88/11सी, दिनांक 10.07.2020 के अनुक्रम में सामाजिक वानिकी वन प्रभाग सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत लुम्बिनी–दुद्धी मार्ग के दोनो तरफ 10–10 किमी0 कुल 20 किमी0 क्षेत्र में तीन लाइनो के लिए वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत योजना/प्राक्कलन के अनुसार रू0–80,37,000.00 (रू0–अस्सी लाख सैतिस हजार मात्र) की धनराशि दिनांक 24.08.2020 को प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग सिद्धार्थनगर के पंजाब नेशनल बैंक, उसका रोड, सिद्धार्थनगर जिसका आई0एफ0एस0सी0 कोड PUNB0396300 एवं खाता संख्या 3963001100000092 में NEFT के माध्यम से जमा करा दिया गया है।

उक्त धनराशि की प्राप्ति स्वीकार की जाती है।

28·08·20

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
सिद्धार्थनगर।

संख्या ___ /उक्त दिनांकित

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।

2– वन संरक्षक, बस्ती वृत्त बस्ती।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
सिद्धार्थनगर।

Scanned with CamScanner

Conditions-10
Page-11

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता कि विन्ध्या टेली लिंक्स लि० द्वारा जनपद फतेहपुर में कोड़ा जहानाबाद - अमौली - जोनिहा चौराहा -शहबाजपुर, जोन्हिया चौराहा- बंधवा तिराहा -ललौली , बंधवा तिराहा - बहुआ तक की कुल लम्बाई किमी० 72.5, कुल 0.7511 हे0 वन क्षेत्र में कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू स्वामी से अन्नापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा।

(Authorized Signatory)

Area Manager
Vindhya Telelinks Limited

PARVEZ FAROOQ ANSARI
AREA MANAGER
VINDHYA TELELINKS LTD.
KANPUR CLUSTER, KANPUR

C.S.

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर

Scanned with CamScanner

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता कि विन्ध्या टेली लिंक्स लि० द्वारा जनपद फतेहपुर में कोड़ा जहानाबाद - अमौली - जोनिहा चौराहा -शहबाजपुर, जोन्हिया चौराहा- बंधवा तिराहा -ललौली , बंधवा तिराहा - बहुआ तक की कुल लम्बाई किमी० 72.5, कुल 0.7511 हे0 वन क्षेत्र में कार्य करने के लिये प्रोयाक्ता एजेंसी के पास वैध व अधिकृत लाइसेंस एवं कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है ।

(Authorized Signatory)

Area Manager
Vindhya Telelinks Limited

PARVEZ FAROOQ ANSARI
AREA MANAGER
VINDHYA TELELINKS LTD.
KANPUR CLUSTER, KANPUR

C.S.
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर

Scanned with CamScanner

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता कि विन्ध्या टेली लिंक्स लि० द्वारा जनपद फतेहपुर में कोड़ा जहानाबाद - अमौली - जोनिहा चौराहा -शहबाजपुर, जोन्हिया चौराहा- बंधवा तिराहा -ललौली , बंधवा तिराहा - बहुआ तक की कुल लम्बाई किमी० 72.5, कुल 0.7511 हे0 वन क्षेत्र में कार्य हेतु, भारत सरकार के पत्र संख्या - 5-3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19-8-2010 तथा पत्र संख्या - J-11013/41/2006-IA-II(I), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा होगा कि उन्होंने , यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति /अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ़ नेशनल बोर्ड ऑफ़ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग अलग प्राप्त कर लिया जायेगा - लागू नहीं

(Authorized Signatory)

Area Manager
Vindhya Telelinks Limited

[illegible] FAROOQ ANSARI
AREA MANAGER
VINDHYA TELELINKS LTD.
KANPUR CLUSTER, KANPUR

C.S.

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर

Scanned with CamScanner

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता कि विन्ध्या टेली लिंक्स लि० द्वारा जनपद फतेहपुर में कोड़ा जहानाबाद - अमौली - जोनिहा चौराहा -शहबाजपुर, जोन्हिया चौराहा- बंधवा तिराहा -ललौली , बंधवा तिराहा - बहुआ तक की कुल लम्बाई किमी० 72.5, कुल 0.7511 हे0 वन क्षेत्र में कार्य करने के लिये-- यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी /नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा० उच्चतम न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली जायेगी **– लागू नहीं**

(Authorized Signatory)

Area Manager
Vindhya Telelinks Limited

PARVEZ FAROOQ ANSARI
AREA MANAGER
VINDHYA TELELINKS LTD.
KANPUR CLUSTER, KANPUR

C.S.

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर

Scanned with CamScanner

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता कि विन्ध्या टेली लिंक्स लि० द्वारा जनपद फतेहपुर में कोड़ा जहानाबाद - अमौली - जोनिहा चौराहा -शहबाजपुर, जोन्हिया चौराहा- बंधवा तिराहा -ललौली , बंधवा तिराहा - बहुआ तक की कुल लम्बाई किमी० 72.5, कुल 0.7511 हे0 वन क्षेत्र में कार्य करने से पूर्व समस्त वैधानिक / प्रशासनिक अन्नापत्ति प्राप्त करने के उपरांत ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ।

(Authorized Signatory)

Area Manager
Vindhya Telelinks Limited

...EZ FAROOQ ANSARI
AREA MANAGER
VINDHYA TELELINKS LTD.
KANPUR CLUSTER, KANPUR

C.S.

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर

Scanned with CamScanner

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता कि विन्ध्या टेली लिंक्स लि० द्वारा जनपद फतेहपुर में कोड़ा जहानाबाद - अमौली - जोनिहा चौराहा -शहबाजपुर, जोन्हिया चौराहा- बंधवा तिराहा -ललौली , बंधवा तिराहा - बहुआ तक की कुल लम्बाई किमी० 72.5, कुल 0.7511 हे0 वन क्षेत्र में कार्य करने हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-9/98- एफसी , दिनांक 08.07.2011 में दिए गये दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये गये भू-संदर्भित डिजिटल डाटा /मानचित्र प्रस्तुत करे, जिसमे वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया हो - **दर्शाया गया है**

C.S.

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर

(Authorized Signatory)

Area Manager
Vindhya Telelinks Limited

[illegible] ANSARI
AREA MANAGER
VINDHYA TELELINKS LTD.
KANPUR CLUSTER, KANPUR

Scanned with CamScanner

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता कि विन्ध्या टेली लिंक्स लि० द्वारा जनपद फतेहपुर में कोड़ा जहानाबाद - अमौली - जोनिहा चौराहा -शहबाजपुर, जोन्हिया चौराहा- बंधवा तिराहा -ललौली , बंधवा तिराहा - बहुआ तक की कुल लम्बाई किमी० 72.5, कुल 0.7511 हे0 वन क्षेत्र में कार्य करने हेतु वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लंबित नहीं है एवं आदिम जनजाति /प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते है - जिलाधिकारी फतेहपुर द्वारा निर्गत / जारी FRA प्रमात्र पत्र सलंग्न है।

सलंग्नक - **Page-18**

C.S.
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर

(Authorized Signatory)
Area Manager
Vindhya Telelinks Limited
KANPUR CLUSTER, KANPUR

Scanned with CamScanner

(18)

Government of Uttar Pradesh

Office of the District Collector, Fatehpur (U.P.)

No. 5138 Dated. 25.6.18

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of The Ministry of Enviourment and Forest (MOEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act,2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forestry purposes. In further modifications of above said letter, MOEF exempted the requirement of initiation and completion of process for recognition and vesting of forest rights to schedule Tribes and other Traditional Forest Dwellers in case of linear projects vide ministary of environment and forest (MoEF) Government of India's letter no. 11-9/98-FC(pt) dated 28-10-2014

It is further certified that:-

a) An area of 0.7511 Hectare of protected forest land is proposed to be diverted for non-forestry purpose favor of Vindhya Telelinks Ltd., for laying of OFC along with below roads ROW in Social Forestry Division of Fatehpur District.

   1. At Jahanabad-Sadh Marg 2.750 Km., Bhoginpur-Ghatampur-Chaudagra Marg 1.250 Km., Jahanabad-Amauli-Chandpur-Zafarganj-Jonhia Marg 42.800 Km.,Shivrajpur-Bindki-Laluli Marg 17.00 Km.,Bahraich-Banda Marg (Bahuva-Chillaghat Marg) 7.00 Km. and Jonhia Chauraha-Shahbajpur Marg 1.70 Km., Total Length 72.5 Km. & 0.7511 Ha. In Social Forestry Division of Fatehpur District UP of Protected Forest Land.

b) The proposal does not affect the recognized rights and interests of primitive Tribal Groups of agriculture Communities, as those are having no recorded population in the above stated region of protected forest land.

c) The forest land proposed to be diverted is plantation which was notified as "Forest" less than 75 years prior to the 13th day of December 2005 is located in villages having no recorded populations of Schedule Tribes as per census 2001 and the census 2011. The requirement of forest land as proposed by the agency is barest minimum.

C.S.

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी/वन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर

District Magistrate
Fatehpur
(AUNJANEYA KUMAR SINGH)
DISTRICT MAGISTRATE
FATEHPUR

Scanned with CamScanner

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता कि विन्ध्या टेली लिंक्स लि० द्वारा जनपद फतेहपुर में कोड़ा जहानाबाद - अमौली - जोनिहा चौराहा -शहबाजपुर, जोन्हिया चौराहा- बंधवा तिराहा -ललौली , बंधवा तिराहा - बहुआ तक की कुल लम्बाई किमी० 72.5, कुल 0.7511 हे0 वन क्षेत्र में कार्य करने हेतु उपरोक्त के अतिरिक्त समय समय पर केंद्र सरकार / राज्य सरकार / मा० न्यायालयो द्वारा दिए गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा ।

(Authorized Signatory)

Area Manager
Vindhya Telelinks Limited

AREA MANAGER
VINDHYA TELELINKS LTD.
KANPUR CLUSTER, KANPUR

C.S.

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर

Scanned with CamScanner

वन सरंक्षण अधिनियम-1980 सम्बन्धी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता कि विन्ध्या टेलीलिंक्स लि० द्वारा जनपद फतेहपुर में कोड़ा जहानाबाद - अमौली - जोनिहा चौराहा -शहबाजपुर, जोन्हिया चौराहा- बंधवा तिराहा -ललौली , बंधवा तिराहा - बहुआ तक की कुल लम्बाई किमी० 72.5, कुल 0.7511 हे0 सरंक्षित वन भूमि के सरंक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग अनुमति के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत सैधान्तिक स्वीकृति में निहित समस्त शर्तो का अनुपालन किया जा रहा है तथा किसी भी प्रकार से वन सरंक्षण अधिनियम -1980 का उल्लंघन नहीं किया गया ।

(Authorized Signatory)

Area Manager
Vindhya Telelinks Limited

PARVEZ FAROOQ ANSARI
AREA MANAGER
VINDHYA TELELINKS LTD.
KANPUR CLUSTER, KANPUR

Scanned with CamScanner

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के उलंघन सम्बन्धी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विन्ध्य टेली लिन्क्स लि0 द्वारा जनपद फतेहपुर में कोड़ा जहानाबाद–अमौली–जोनिहा चौराहा – शहबाजपुर, जोनिहा चौराहा–बंधवा तिराहा–बंधवा–ललौली, बंधवा तिराहा–बहुआ तक कुल लम्बाई 72.50 किमी0 एवं 0.7511 हे0 वन भूमि में बिना वृक्ष पातन के आप्टिकल फाइबर केबिल बिछाये जाने की अनुमति के सम्बन्ध में विन्ध्य टेली लिन्क्स लि0 द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन किया गया है तथा किसी भी प्रकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों का उलंघन नहीं किया गया है।

दिनांक - 27-01-2021

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग
फतेहपुर

Scanned with CamScanner

Prapatra-1

S. No	Details	Compliance
1	2	3
1	CA amount as per proposal	Rs. – 0.00
2	CA amount deposited	Rs. – 0.00
3	Difference in amount	0
4	Reason for difference	0
5	NPV amount as per proposal	Rs. - 0.00
6	NPV amount deposited	Rs. -0.00
7	Difference in amount	0
8	Reason for difference	0
9	Any other amount deposited- (Plantation and 10 years maintenance of dwarf plants under transmission line)	Rs. 0.00
10	CAMPA confirmation	-

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग
फतेहपुर

कार्यालय पता – प्रभागीय निदेशक कार्यालय, वी0आई0पी0 रोड, सिविल लाइन्स, फतेहपुर – 212601
दूरभाष /फैक्स – 05180 – 224493, ई – मेल – dfofatehpur@gmail.com

Scanned with CamScanner